भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 11
सोमवार, 20 जुलाई, 2026 (29 आषाढ़ 1948 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान योजना और एटीएफ कराधान

11. श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाणः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2002 के तहत जारी उस विकास-समर्थक अधिसूचना का संज्ञान लिया है, जिसके माध्यम से एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) पर वैट को 18 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस बात के मद्देनज़र कि एटीएफ किसी विमान कंपनी की कुल प्रचालन लागत का लगभग 35 से 40 प्रतिशत होता है, अन्य राज्य सरकारों के साथ मिलकर एटीएफ पर कम वैट दरों को स्थायी, एकरूप और प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए कोई मानकीकृत कर व्यवस्था तैयार करने की योजना बना रही है; और

(ग) इस प्रकार के राजकोषीय युक्तिकरण से सरकार की महत्वपूर्ण उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय हवाई संपर्क, पर्यटन और हवाई यात्रियों की संख्या पर क्या प्रभाव अनुमानित है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा विमानन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) पर मूल्य वर्धित कर (वैट) की भिन्न-भिन्न दरें लगाई जाती हैं। इस प्रकार लगाई गई दरें 0% से 29% तक हैं। एटीएफ पर उच्च वैट के मुद्दे को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उठाया गया है। इसके परिणामस्वरूप, 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सितंबर 2021 से एटीएफ पर वैट कम कर दिया है। हाल ही में, मई, 2026 में महाराष्ट्र राज्य ने भी 6 महीने की अवधि के लिए एटीएफ पर वैट को 18% से घटाकर 7% कर दिया है। एटीएफ पर कम वैट एयरलाइनों को अधिक कुशलता से परिचालन करने और क्षेत्रीय हवाई संपर्क का विस्तार करने में सक्षम बनाता है, जिससे पर्यटन, व्यावसायिक गतिविधि और रोजगार में वृद्धि के माध्यम से व्यापक आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं।
